



न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल, गवालियर कम्प, भोपाल(म.प्र.)

R/1486-PB2-17

प्र. क. /पी.बी.आर./ 2017

श्रीमती सरोज कपूर, पत्नी श्री दीपक कपूर,
आयु वयस्क, निवासी ई-1/84, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल, म.प्र.

आवेदिका

विरुद्ध

श्री मनोज रत्नाकर, आत्मज श्री बृजमोहन रत्नाकर,
आयु वयस्क, वर्तमान निवासी-201, सुकून बिला,
3/2, न्यू पलासिया, इन्दौर, म.प्र.

अनावेदक

25-5

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959


आवेदिका पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण मान. अधिनस्थ न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल द्वारा प्र.क. 36/अपील/15-16 मनोज
रत्नाकर विरुद्ध श्रीमती सरोज कपूर में पारित आदेश दिनांक 25.04.17 से क्षुब्ध होकर
निम्नलिखित तथ्यों व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

[Signature]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्रालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी1486-पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान दिनांक	व कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह तथा अनावेदक की ओर से श्री सी0एम0विश्वकर्मा अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p>उभयपक्ष दिनांक 17-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	 (मनोज गोयल) अध्यक्ष